

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव, राजस्व,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर, 2008

विषय :: वर्ष 2008—09 में दैवी आपदा (बादल का फटना) से क्षतिग्रस्त अपरिहार्य परिस्थितियों वाले सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से अत्यधिक क्षतिग्रस्त 23 जनपदों में शासनादेश संख्या सं0—4242 / 1—10—2008—14 (73) / 2008 दिनांक 10 सितम्बर, 2008 द्वारा समय सारणी जारी करते हुए बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तत्काल मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनराशि व्यय किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस संबंध में शासनादेश सं0—3665 / 1—10—2008—12 (73) / 2008 दिनांक 29—7—2008 में बीस लाख रुपये तक के कार्यों को जिलाधिकारी के स्तर पर गठित तकनीकी समिति तथा बीस लाख से एक करोड़ तक के कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति को दिया गया है।

2. आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स में बाढ़ के साथ—साथ बादल फटने (cloud burst) की घटना को दैवी आपदा माना गया है। यद्यपि बादल फटना एक ऐसी घटना है जिसे स्पष्टतया परिभाषित किया जाना कठिन है फिर भी जनपद या उसके किसी भी भाग में यदि अल्पावधि (अधिकतम 24 घंटे) में अप्रत्याशित वर्षा (un-usually high down pour/cloud burst) हुई हो तो उसे बादल फटने की घटना मानते हुए ऐसे जनपदों या उस क्षेत्र विशेष में उस दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स में प्रस्तर—18 में अनुमन्य मरम्मत/रेस्टोरेशन के लिए व्यय किया जा सकता है। आपदा राहत निधि में मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी कार्यों की अनुमन्यताओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका के सुसंगत अंशों के उद्धरण निम्न प्रकार हैं :—

Repair/restoration of immediate nature of the damaged infrastructure in eligible sectors:	Activities of immediate nature
➤ Roads & bridges (2)	➤ An illustrative list of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix.
	Time Period

<p>Drinking Water Supply Works. (3) Irrigation,(4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Primary Education, (6) Primary Health Centres,(7) Community assets owned by Panchayats.</p> <p>➤ Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works from their own funds/resources, are excluded.</p>	<p>➤ The following time limits are indicated for undertaking works of immediate nature :-</p> <p><u>For Plain areas</u></p> <p>a) 30 days incase of calamity of normal magnitude. b) 45 days in case of calamity of severe magnitude.</p> <p><u>For hilly areas and North Eastern States</u></p> <p>a) 45 days incase of calamity of normal magnitude. b) 60 days in case of calamity of severe magnitude.</p> <p><u>Assessment of requirements</u></p> <p>➤ On the basis of assessment made by the State Level Committee for assistance to be provided under CRF and on the basis of the assessment of the Central Team for assistance to be provided under NCCF.</p>
---	---

Appendix (to item No.18)

IIIIllustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply:

- i. Repair of damaged platforms of Hand pumps/Ring wells/Spring-tapped chambers/Public stand posts, cisterns.
- ii. Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii. Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intakes- structures, approach gantries/ jetties.

2. Roads

- i. Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii. Repair of breached culverts.
- iii. Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv. Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation:

- i. Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cements, sand bags and stones.
- ii. Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/embankments.
- iii. Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/Community Health Centers.

5. Community assets of Panchayat

- a. Repair of village internal roads
- b. Removal of debris from drainage/sewerage lines.
- c. Repair of internal water supply lines.
- d. Repair of street lights.
- e. Temporary repair of primary school, Panchayat ghars, community halls, anganwadi etc.

3— वर्तमान वित्तीय वर्ष में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आपके जनपदों में ऐसी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों जिनका उल्लेख प्रस्तर -2 में किया गया है, क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकती है। चूंकि 45 दिन की अवधि के अन्दर ही तात्कालिक प्रकृति की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है अतः इस संबंध में मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी:-

- (1) अपने जनपद के बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र का जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हीकरण/निर्धारण करना तथा संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को सूचित करना।
- (2) आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स की मद संख्या-18 एवं इसके Appendix में उल्लिखित परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की क्षति का सर्वेक्षण एवं आंकलन किया जाना।
- (3) निर्धारित/चिन्हित बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की सूची को अन्तिम रूप देते हुए जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना।
- (4) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्तानुसार तैयार की गई सूची का परीक्षण/सत्यापन कर यह प्रमाणित करना कि उक्त परिसम्पत्तियों एवं प्रस्तावित कार्य बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र के हैं।
- (5) अनुमोदित सूची के आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रारम्भिक आंकलन तैयार करना तथा उसे जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना।
- (6) जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूची में उल्लिखित 20 लाख रु0 तक कार्यों पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना तथा 20 लाख से ऊपर परन्तु रु0 एक करोड़ तक के कार्यों की सूची संस्तुति सहित मण्डलायुक्त को प्रेषित करना। रु0 एक करोड़ से ऊपर के कार्यों की सूची संस्तुति सहित शासन के

- संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी एक प्रति राहत आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।
- (7) मण्डलायुक्ता एक करोड़ तक के कार्यों को मण्डल स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश दिनांक 29-7-2008 में निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत करायेंगे।
- (8) पैरा-7 में उल्लिखित शासनादेश सं0-3665 / 1-10-2008-12 (73) / 2008 दिनांक 29-7-2008 के प्रस्तार 3 से 14 तक के प्राविधान बादल फटने की घटना से संबंधित उपरोक्त कार्यों को कराये जाने हेतु लागू माने जायेंगे।

4— उपरोक्त सभी प्रक्रियात्मक कार्य दिनांक 22-09-2008 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जायें तथा प्रारम्भिक आंकलन के आधार पर शासन से आवश्यक धनराशि की मांग कर ली जाय। राहत आयुक्त द्वारा 22-09-2008 तक प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों पर 25-09-2008 तक 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

5— विस्तृत आंकलन तथा टेण्डर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने की कार्यवाही 06-10-2008 तक सम्बन्धित विभागों के द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये तथा निर्माण कार्य 20-10-2008 तक अनिवार्य रूप से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाय। टेण्डर स्वीकृति के तत्काल पश्चात अवशेष धनराशि की मांग तक शासन से कर ली जायेगी तथा राहत आयुक्त द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर अवशेष धनराशि जिलाधिकारी को अवमुक्त कर दी जायेगी।

6— कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 30-11-2008 से 15-12-2008 के बीच समस्त कार्य अनिवार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव, राजस्व।

संख्या-4253 (1) / 1-10-2008-14(75) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ऊर्जा/बेसिक शिक्षा/पंचायती राज, नगर विकास विभाग।
- 2— संबंधित मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ जनपदों में युद्ध स्तर पर उक्त प्रक्रियानुसार कार्यवाही कराते हुए उक्त संबंधित कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव, राजस्व।